

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विलिंग्डन आईलेंड, कोचिन



CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in

E-mail: cochincustoms@nic.in

F.No. S31/87/2020 Pr.Cus

Control Room: 0484-2666422

Fax: 0484-2668468
Date: 28.03.2023

निवारक परिपत्र PREVENTIVE CIRCULAR 09/2023

विषय: अधीक्षकों और निवारक अधिकारियों के संवर्ग में ए जी टी; सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन, डी आर आई और सी एस ई जेड में तैनात किए जाने के लिए अधिकारियों की स्वेच्छा सहित उनसे संबंधित मामले।

Sub: AGT in the cadre of Superintendents and Preventive Officers; Matters incidental thereof, including calling for willingness of officers to be posted in Commissionerate of Customs(Preventive), Cochin, DRI and CSEZ.

सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), कोचिन (सी सी पी), डी आर आई क्षेत्रीय यूनिट और सी एस ई जेड के अंतर्गत आने वाली संरचनाओं में तैनाती के लिए सीमा शुल्क गृह, कोचिन के संवर्ग नियंत्रण के तहत आने वाले सीमा शुल्क अधीक्षकों से स्वेच्छा आमंत्रित की जाती है।

Willingness is invited from the Superintendents of Customs coming under the cadre control of Custom House, Cochin for posting to the formations under the Commissioner of Customs(Preventive), Cochin(CCP), the DRI Zonal Units and CSEZ.

2. अधिकारी इस परिपत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में स्वेच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वेच्छा प्रस्तुत करते समय, कृपया उस आयुक्तालय/निदेशालय/संरचना में तैनाती हेतु वांछित स्थान का उल्लेख करें।

The Officers may submit their willingness in the prescribed format given in Annexure enclosed herewith. While submitting the willingness, the preferred location of posting in that Commissionerate/Directorate/formation may please be given.

3. अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्वेच्छा और वरीयताएँ तैनाती की सूची निर्धारित करते समय विचार किए जाने के लिए संबद्ध आयुक्तालय/ ए डी जी के समक्ष रखी जाएंगी। तथापि, यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि, केवल स्वेच्छा का दिया जाना किसी भी वांछित संरचना में आवेदक को स्थानांतरण का अधिकार प्रदान नहीं करेगा। स्थानांतरण के संबंध में अंतिम निर्णय विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यवहार्यता के अधीन लिया जाएगा। सीमा शुल्क मौजूदा निर्देशों व चली आ रही परिपाटी के अनुसार कुछ विशेष आयुक्तालयों तथा निदेशालयों के लिए कर्मचारियों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है। पर्याप्त अधिकारियों द्वारा स्वेच्छाओं की प्राप्ति न होने की स्थिति में तैनाती प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी।

The willingness and preferences submitted by the Officers will be placed before the concerned Commissionerate/ADG for being considered while issuing posting. However, it is made clear that the mere exercise of willingness would not confer any right on the applicant for transfer to any formation. The final decision with regard to transfer would be made by the Department, subject to administrative feasibility. The Custom House is obligated to supply Cadres as per extant directions and/or conventions to certain Commissionerates and Directorates. In the event of non-receipt of sufficient willingness being exercised by the Officers, the postings will need to be made based on administrative requirements.

E-MAIL/SPEED POST

4. 31.06.2023 तक यदि किसी अधिकारी को सीमा शुल्क गृह के बाहर उसके वर्तमान पद पर किसी आयुक्तालय/निदेशालय/ अन्य संरचनाओं में अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण के मामले में 2 वर्ष से अधिक की अविध के लिए, लोन / स्थानीय रोटेशन(चक्रानुक्रम) के मामलों में 3 वर्ष या जो 5 वर्ष या उससे अधिक पूरा कर रहे हैं और उन्हें प्रतिनियुक्ति के मामलों में वहीं रखा जाना होगा तो इस स्थिति में संबंधित सक्षम अधिकारियों के समक्ष विस्तृत स्पष्टीकरण निर्धारित अंतिम तिथि के साथ मांगी गई विस्तारित अविध के लिए अपर/संयुक्त आयुक्त के समकक्ष पद के अधिकारियों के समर्थन सहित अग्रेषित किया जाएं।

In the event any Officer is required to be retained at his current post at any Commissionerate/Directorate/other formation outside Custom House, beyond 2 years in case of inter-Commissionerate transferred cases, 3 years in case of loan/local rotation cases, or in the event of Officers who would be completing 5 years or more as on 30.06.2023 and need to be retained in case of deputation cases, the detailed justification along with firm end date for extended period sought for may be forwarded with an endorsement from an Officer not below the rank equivalent to an Additional Commissioner/Joint Commissioner to be placed before the concerned competent authorities.

5. अधिकारी 12.04.2023 को या उससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी को अपनी स्वेच्छा प्रस्तुत करें।

The Officers may submit their willingness to the undersigned on or before 12.04.2023.

(राजेश्वरी आर. नायर RAJESWARI R. NAIR) सीमा शुल्क अपर आयुक्त ADDITIONAL COMMISSIONER OF CUSTOMS

प्रति То.

 सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, 5वीं मंजिल, कैथोलिक केंद्र, ब्रॉडवे, कोचिन - 682031 O/o The Commissioner of Customs, Commissionerate of Customs (Preventive), 5th Floor, Catholic Centre, Broadway, Cochin - 682031

2. अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यालन, राजस्व आसूचना निदेशालय, कोचिन जोनल यूनिट, 32/641ए, वायलोपिल्लि रोड, सेंट थॉमस लेन, पिलनाडा, पलारीवट्टम, कोचिन - 682025। O/o The Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, CochinZonal Unit, 32/641A, Vylopilli Road, St. Thomas lane, Palinada, Palarivattom, Cochin - 682025.

3. अपर आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त का कार्यालय, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, केंद्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कचेरीपडी, कोचिन - 682018 The Additional Commissioner, O/o The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone, Central Revenue Building, I.S.Press Road, Kacheripady, Cochin - 682018

4. विकास आयुक्त का कार्यालय, कोचिन विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, बंदरगाह - हवाई अड्डा रोड, कक्कनाड, केरल 6820370/o The Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone, Administrative Building, Seaport - Airport Rd, Kakkanad, Kerala 682037

5. अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय, 10वीं मंजिल, टावर-II, जीवन भारती बिल्डिंग, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 The Directorate of International Customs, 10th Floor, Tower – II, Jeevan Bharthi Building, Cannaught Place, New Delhi – 110001

6. सीमा शुल्क गृह में सभी अनुभाग All Sections in Custom House, सामान्य निवारक General Preventive

7. एयरपोर्ट (सीमा शुल्क इकाई) / एयर कार्गी कॉम्प्लेक्स, नेदुम्बश्शेरी Airport(Customs Unit) / Air Cargo Complex, Nedumbassery

8. पी ए डी PAD, कोचिन शिपयार्ड (सीमा शुल्क इकाई) Cochin Shipyard(Customs Unit)

9. सभी सी एफ एस All CFSs, सूचना पट्ट Notice Board, नियंत्रण कक्ष Control Room.